

गुरैया के रमना में जमीन का बड़ा खेल

दो एकड़ में 46 प्लॉट, 25 हजार वर्गफुट शासकीय जमीन हड़पने का आरोप राजस्व विभाग की मिलीभगत पर सवाल, खरीदारों से धोखाधड़ी का आरोप

हरिभूमि न्यूज | छिंदवाड़ा (मनीष गडकरी)

जिले में अवैध कॉलोनियों पर सख्ती के प्रशासनिक दावों के बीच जमीनी हकीकत एक बार फिर सवालियों के घेरे में आ गई है। छिंदवाड़ा तहसील के ग्राम गुरैया पंचायत के गुरैया रमना क्षेत्र में सामने आया मामला न केवल अवैध प्लॉटिंग का है, बल्कि इसमें शासकीय भूमि पर कब्जा कर उसे बेचने जैसे गंभीर आरोप भी लागे हैं। इस पूरे प्रकरण ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली और उसकी निष्पक्षता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, गुरैया रमना क्षेत्र में तनवीर आलम द्वारा निजी भूमि खसरा नंबर 67/2, 73 और 72/2 में कॉलोनी विकसित की गई। आरोप है कि इस कॉलोनी के विस्तार के दौरान उससे सटी शासकीय भूमि खसरा नंबर 74 को भी शामिल कर लिया गया। इतना ही नहीं, इस सरकारी जमीन को भी निजी बताकर प्लॉट काटे गए और भोले-भाले खरीदारों को बेच दिए गए। खरीदारों को न केवल गुमराह किया गया बल्कि उन्हें शासकीय भूमि पर ही कब्जा भी दिला दिया गया।

पीड़ितों ने कलेक्टर से लगाई गुहार

इस पूरे मामले में प्लॉटधारक कैलाश माहोरे पिता करणलाल माहोरे सहित कई अन्य लोगों ने कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया गया है कि कॉलोनीवाइजर ने धोखाधड़ी करते हुए शासकीय भूमि को निजी बताकर प्लॉट बेचे हैं। आवेदकों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।



सरकारी जमीन पर कब्जे की आशंका

विशेषज्ञों के अनुसार, यदि प्लॉटिंग का कुल रकबा 77 हजार वर्गफुट तक पहुंच गया है, तो स्पष्ट है कि कॉलोनी विकसित करने के लिए अतिरिक्त जमीन का उपयोग किया गया है। यही वजह है कि इस मामले में लगभग 25 हजार वर्गफुट से अधिक शासकीय भूमि को कॉलोनी में शामिल किए जाने की आशंका जताई जा रही है। यह भी संभावना जताई जा रही है कि इसी शासकीय भूमि पर सड़क और नाली जैसी सुविधाएं दिखाकर कॉलोनी को व्यवस्थित बताया गया, जबकि असल में यह पूरा खेल सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसे निजी उपयोग में लेने का है।

राजस्व विभाग की भूमिका संदिग्ध

मामले में सबसे गंभीर पहलू राजस्व विभाग की भूमिका को लेकर सामने आया है। शिकायत के बाद जब मौके की जांच की गई, तो आरआई और पटवारी द्वारा केवल औपचारिक नपवाई कर खानापूर्ति कर दी गई। ग्रामीणों और शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि राजस्व अमले की मिलीभगत के बिना इतना बड़ा घोटाला संभव ही नहीं है। उनका कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच की जाए तो कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं।

पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने अपनी जीवनभर की जमा पूंजी लगाकर प्लॉट खरीदे, लेकिन अब उन्हें पता चल रहा है कि जिस जमीन पर उनका कब्जा है, वह सरकारी हो सकती है। ऐसे में उनके सामने भविष्य को लेकर गंभीर संकट खड़ा हो गया है।

आंकड़े ही खोल रहे हैं घोटाले की परतें

गुरैया रमना में विकसित की गई इस कॉलोनी का कुल रकबा लगभग 2 एकड़ यानी करीब 88,203 वर्गफुट बताया जा रहा है। इस जमीन पर कुल 46 प्लॉट काटे गए हैं, जिनका कुल रकबा लगभग 77,446 वर्गफुट है। अब सवाल यह उठता है कि शेष बची जमीन, जो कि करीब 10 हजार वर्गफुट है, उसमें सड़क, नाली और अन्य बुनियादी सुविधाएं कैसे विकसित की जा सकती हैं? कॉलोनी विकास के नियमानुसार, कुल भूमि का एक बड़ा हिस्सा सड़क, नाली और ओपन स्पेस के लिए छोड़ा जाना अनिवार्य होता है। आमतौर पर दो एकड़ की कॉलोनी में लगभग 30 से 32 हजार वर्गफुट जमीन इन सुविधाओं के लिए सुरक्षित रखी जाती है। ऐसे में यहां केवल 10 हजार वर्गफुट में यह सब संभव होना तकनीकी रूप से असंभव माना जा रहा है।



प्रशासन की चुपई से बड़ी नाराजगी

हालांकि मामला कलेक्टर तक पहुंच चुका है, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। पीड़ितों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि जिले में कई जगहों पर इसी तरह की अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, लेकिन प्रशासन केवल कागजातों में कार्रवाई दिखाकर अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है।

नियमों की खुलेआम अनदेखी

कॉलोनी विकसित करने के लिए नगर एवं ग्राम निवेश और राजस्व विभाग के स्पष्ट नियम हैं, जिनके तहत सड़क, नाली, पानी निकासी और ओपन स्पेस जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करना अनिवार्य होता है। लेकिन गुरैया रमना की इस कॉलोनी में इन नियमों की खुलेआम अनदेखी की गई है। यह स्थिति न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि भविष्य में यहां रहने वाले लोगों के लिए भी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती है, जैसे जलमराव, संकरी सड़कें और मूलभूत सुविधाओं का अभाव।

बड़ा सवाल- क्या थमेगा अवैध कॉलोनियों का खेल?

गुरैया रमना का यह मामला केवल एक कॉलोनी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे जिले में चल रहे अवैध प्लॉटिंग के नेटवर्क की ओर इशारा करता है। यदि प्रशासन ने इस मामले में स्पष्ट रुख नहीं अपनाया, तो आने वाले समय में शासकीय जमीनों पर कब्जे और धोखाधड़ी के ऐसे मामले और बढ़ सकते हैं।

अवैध कॉलोनी निर्माण पर नगर निगम की सख्ती, नोटिस जारी

हरिभूमि न्यूज | छिंदवाड़ा

शहर में अवैध कॉलोनियों के निर्माण के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए कुछ भू-स्वामियों को नोटिस जारी किया है। संबंधित व्यक्तियों द्वारा नगर निगम सीमा क्षेत्र खापाभाट, कुसमेली और सोनाखर क्षेत्रों में बिना अनुमति अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित की गई हैं तथा उन्हें छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर अन्य लोगों को बेचा जा हस्तांतरित किया जा रहा है।

यह कृत्य संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें दोषी पाए जाने पर 3 से 7 वर्ष तक का कारावास तथा 10 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। जांच में यह भी सामने आया है कि कॉलोनी विकास के लिए न तो कॉलोनीवाइजर लाइसेंस लिया गया और न ही रेरा पंजीयन, भूमि



तत्काल प्रभाव से सभी अवैध गतिविधियों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय सीमा में जवाब प्राप्त न होने या निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। आयुक्त महोदय द्वारा लगातार अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिससे कॉलोनीवाइजरों में भय का माहौल बना हुआ है।

नगर निगम द्वारा संबंधित व्यक्तियों को पूर्व में भी सूचना दी गई थी, लेकिन न तो कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त हुआ और न ही अवैध निर्माण एवं प्लॉट बिक्री पर रोक लगाई गई। इसके चलते अब पुनः अंतिम नोटिस जारी कर

तत्काल प्रभाव से सभी अवैध गतिविधियों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय सीमा में जवाब प्राप्त न होने या निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। आयुक्त महोदय द्वारा लगातार अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिससे कॉलोनीवाइजरों में भय का माहौल बना हुआ है। नगर निगम आयुक्त ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भूमि या प्लॉट की खरीद-फरोख्त करने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति और नगर निगम से स्वीकृति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके।

नगर निगम की कार्रवाई: शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया, गुमठियां व ढेला जब्त



छिंदवाड़ा। नगर निगम आयुक्त सी. पी. राय के निर्देशानुसार नगर निगम की टीम ने परासिया रोड स्थित परतला वार्ड क्रमांक 01 में कार्रवाई करते हुए शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाकर उसे मुक्त कराया। अभियान के दौरान अधिकारियों ने अवैध कब्जों को हटाते हुए भूमि को पुनः शासकीय उपयोग हेतु सुरक्षित किया। इसके पश्चात नगर निगम अमले ने नागपुर रोड स्थित शराब दुकान के सामने से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए चार गुमठियां एवं एक हाथ ढेला जब्त किया। कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद अतिक्रमणकारियों को सख्त हिदायत दी गई कि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न करें।

24 घंटे में पुलिस का खुलासा: नाबालिगों सहित तीन आरोपियों ने हमला कर घर व संपत्ति में लगाई आग

हरिभूमि न्यूज | जुन्नारदेव

जुन्नारदेव पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 24 घंटे के भीतर गंभीर आपराधिक मामले का खुलासा कर मुख्य आरोपी सहित दो नाबालिगों को पकड़ लिया। यह मामला भूमि विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें मारपीट और आगजनी की घटना सामने आई।

प्राथी सुभद्रा बेलवंशी (42 वर्ष), निवासी ग्राम मोयारी, ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी भूमि को लेकर भादू युदुवंशी से विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते भादू युदुवंशी के साले रामकिशन नागवंशी तथा दो नाबालिगों ने 4 अप्रैल 2026 की देर रात उनके घर पर हमला किया।

उस समय सुभद्रा और उनके पति इन्द्र बेलवंशी आंगन में सो रहे थे। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए लाठियों से दोनों पर जानलेवा हमला किया, जिससे उनके सिर और हाथ में गंभीर चोटें आईं। हमले के बाद जान बचाने के लिए दंपति



मौके से भाग गए। इसके बाद आरोपियों ने आंगन में खड़ी नई हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल, घर में रखे 3-4 किंगटन मक्का, चारा-भूसा तथा मकान में आग लगा दी, जिससे पूरा सामान जलकर नष्ट हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में टीम गठित कर तत्काल जांच शुरू की गई।

एफएएसएल टीम की मौजूदगी में घटनास्थल का निरीक्षण कर जले हुए अवशेष, मोटरसाइकिल, माचिस की डिब्बी और अन्य साक्ष्य जब्त किए गए। पूछताछ के दौरान

आरोपी रामकिशन नागवंशी ने अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देना स्वीकार किया।

पुलिस ने 6 अप्रैल 2026 को मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। वहीं, दोनों नाबालिग आरोपियों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर संरक्षण गृह भेजा गया। इस पूरी कार्रवाई में जुन्नारदेव पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिससे मामले का शीघ्र खुलासा संभव हो सका।

गौड़ खनिज पर नियंत्रण के लिए बनी टास्क फोर्स में वन विभाग भी है शामिल

रेतमाफिया बेखौफ: धाड़ नदी से हो रहा अवैध रेत उत्खनन

हरिभूमि न्यूज | तामिया

बीते दिनों कलेक्टर हरेंद्र नारायण की अध्यक्षता में गौण खनिज से संबंधित टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान एसपी अजय पांडेय भी मौजूद थे।

कलेक्टर द्वारा निर्देश दिए गए कि अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध निरंतर और संयुक्त रूप से अभियान चलाया जाए। रेत के अवैध उत्खनन की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस, खनिज, राजस्व, वन एवं परिवहन विभाग के बीच समन्वय स्थापित कर नियमित निरीक्षण एवं आकस्मिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए



गए लेकिन तामिया तहसील में रेत की चोरी अधिकारियों के संरक्षण में लगातार जारी है। इस अवैध उत्खनन से न केवल राजस्व की

हानि हो रही है, बल्कि वन क्षेत्र की नदियों का स्वरूप भी बिगड़ रहा है और कई स्थानों पर रेत लगभग समाप्त हो चुकी है। रेत बेचने के लालच में अवैध खननकर्ता अधिकारियों को मोटी रकम देकर नए-नए ठिकाने खोज रहे हैं। ऐसा ही एक गंभीर मामला तामिया बफर जोन से सटे देलाखारी क्षेत्र का सामने आया है, जहां वन सीमा से जुड़ी धाड़ नदी रेत माफिया का नया केंद्र बन गई है। यहां वन विभाग के पैदावी कर्मचारियों की मिलीभगत से दिन-दहाड़े रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा

है। स्थिति यह है कि नदी में ट्रैक्टरों से रेत निकालने के स्पष्ट निशान पुल से ही देखे जा सकते हैं, लेकिन वन विभाग के कर्मचारियों को यह नजर नहीं आता। ग्रामीणों के अनुसार, रेत भरने के लिए उन्हें प्रति टॉली 240 रुपये दिए जाते हैं, जिससे उन्हें सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब जिम्मेदारी तामिया, देलाखारी और बफर जोन में तैनात वन कर्मियों की बनती है कि वे धाड़ नदी में हो रहे इस अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करें और इसे रोकें। हालांकि, ऐसी उम्मीद कम ही नजर आती है, क्योंकि इसी संरक्षण में यह अवैध गतिविधि लगातार जारी है।

कार्यालय नगर पालिका परिषद जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)
क्रमांक/680/म.पा./राजस्व/2026
जुन्नारदेव जिला/क्रमांक/714/2026

आम-सूचना आपति इच्छेहार

एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद जुन्नारदेव के स्वायत्तिक को बजार क्षेत्र को दुकान में से दुकान क्र. 49 भूतल तल को दुकान (संतोष जैन पिता स्व. कामल प्रदीप जैन) में औद्योगिक श्रमिक किराने जैन पति स्व. संतोष जैन निवासी बोरदेही तहसीली अमला जिला देहल के द्वारा दुकान नामांतरण / अंतरण हेतु आवेदन पत्र, मूल्य प्रमाण सह अभिलेख के साथ अंतरण पत्र हेतु दिनांक 29.01.26 को प्रस्तुत किया है। उक्त दुकान वर्तमान में श्री संतोष जैन पिता स्व. कामल प्रदीप जैन के नाम से दर्ज है, जो आवेदक को अंतरण हेतु अनिश्चित व्यक्तियों को मूल्य उतरात उतारों आदि पत्रों के द्वारा अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है। उक्त दुकान को वरुण जैन विकसित कर रहा है। उक्त नया स्वामित्व की दुकान पत्र में वरुण जैन नगर पालिका की ऑनलाइन रेटिफिकेशन में स्वयं अथवा अपने अधिकृत के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित में अपना दावा / आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समकालीनता के साथ ही दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद जुन्नारदेव जिला-छिंदवाड़ा

WE ARE HIRING

Job Opening
CIRCULATION ASSISTANT MANAGER

Position : Circulation Assistant Manager - 2 Post
Location : Raipur City

We are looking for a dynamic, Target Oriented and motivated Circulation Assistant to Join our team.

Qualifications :

- MBA (Marketing) from a recognized institution
- 3-5 Years of relevant experience in circulation Department
- Age 25 to 30 Years

Responsibilities :

- Manage circulation and distribution of publications
- Handle customer queries
- Maintain accurate circulation records

How to Apply

Interested candidates may send their resume to Email : inhnewsr@gmail.com
Last Date to Apply : 10 April 2026

हरिभूमि | inh | Opp. Pujari Park, Dhantari Road, Tikrapara, Raipur

खबर संक्षेप
भूतपूर्व सैनिकों का मासिक सम्मेलन 9 अप्रैल को

हरिभूमि न्यूज़ सिवनी। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सिवनी द्वारा भूतपूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं एवं आश्रितों के लिए मासिक सैनिक सम्मेलन का आयोजन दिनांक 09 अप्रैल 2026 को प्रातः 11:00 बजे किया जाएगा। यह सम्मेलन जिला सैनिक कल्याण कार्यालय परिसर, इन्द्रहंस नगर, फेस-डब्ल्यू, प्लॉट नं. 33, हाउस नं. 1297, उत्तर नाका, अकबर वाई, सिवनी (म.प्र.) में आयोजित किया जाएगा। जिले के समस्त भूतपूर्व सैनिकों, वीरगणाओं (विधवाओं) एवं उनके आश्रितों को सूचित किया जाता है कि वे अधिक से अधिक संख्या में सम्मेलन में उपस्थित होकर अपनी समस्याओं से अवगत कराएं। सम्मेलन के दौरान जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, कर्नल अमरेंद्र कुमार दास (से.नि.) द्वारा उपस्थित जनों की समस्याओं को सुना जाएगा एवं उनके समाधान हेतु आवश्यक मार्गदर्शन एवं निराकरण किया जाएगा।

जिला जेल में 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान अंतर्गत निक्षय शिबिर संपन्न

हरिभूमि न्यूज़ सिवनी।शासन के निर्देशानुसार 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 06 अप्रैल को जिला जेल सिवनी में निक्षय शिबिर का आयोजन किया गया। यह शिबिर कलेक्टर श्रीमती शीतला पटेल एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी श्रीमती अंजली शाह के मार्गदर्शन में तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जयपाल सिंह ठाकुर एवं जिला क्षय अधिकारी डॉ. जयज काकोडिया के निर्देशानुसार संपन्न हुआ। शिबिर के दौरान पोटेन्ट बल हेड-हेल्थ एक्स-रे मशीन के माध्यम से 119 कैदियों को चेस्ट एक्स-रे जांच की गई। इसके साथ ही सभी कैदियों की खंडार (स्पुटम) जांच एवं सी.वाई. टीबी जांच भी की गई।

हिंदु एकता विषय को लेकर विभिन्न जातियों वर्ग की बैठक संपन्न

केवलारी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में दिनांक 5 अप्रैल को संत तुलसीदास हायर सेकेण्डरी स्कूल में सभी जाति समाज के प्रमुख जनों की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर मंच पर मनमोहन प्रतीग मिश्रा, मुलदेव यादव केवलारी की उपस्थिति में आयोजित बैठक में बाल गोविंद पाठक, राजेश बघेल गणेश लाल झारिया के द्वारा उपस्थित सज्जनों का परिचय और दायित्व से परिचय कराया। समाजिक सद्भाव एकता विषय को लेकर आयोजित बैठक में मुख्य बताने प्रतीग मिश्रा ने कहा कि जातियों में बंटकर हम आप हिंदू धर्म को भूल गये हैं इसी के कारण दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा जातियों में मतभेद उत्पन्न कर हिंदू धर्म को कमजोर करने का काम किया जा रहा है हम परिवार की एकता को भूल गये हैं। धार्मिक एकता बनाने में पिछड़ गये हैं, नशा पाश्चात्य संस्कृति का सामुदायिक रूप से विरोध करने का आवश्यकता है। स्वदेशी अपनाकर देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सकता है। विभिन्न समाजों की ओर से एक्स पी पटेल पवार समाज, सुजीत राय कलार समाज, दिनेश यादव, दमोदर शुक्ला बासमण समाज, रमाशंकर मटोशिया कठियावाड़ क्षत्रिय समाज की ओर से अपनी अपनी बात रखी गयी।

लोजपा (रा.) प्रदेश कार्यकारणी की बैठक में धरातल में वर्षों से कार्यरत कार्यकर्ताओं को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी

केवलारी- लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास पासवान) के प्रदेश महासचिव जबलपुर जौन प्रभारी स्थानीय निवासी सुनील डोंगरे ने प्रेस विज्ञापित जारी कर बताया कि 5 अप्रैल 2026 को शिमला फार्म हाउस, गौमठ गिरी एयर पोर्ट रोड इंदौर में राहुल मालाकार जिलाध्यक्ष लोजपा इंदौर के नेतृत्व में मध्यप्रदेश लोकजन शक्ति पार्टी (रामविलास) की प्रदेश स्तरीय बैठक प्रदेशाध्यक्ष हाजी नरुल्ला की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव एवं मध्यप्रदेश लोजपा (रामविलास) प्रभारी, शकील तिजोरीवाला की गरिमामई उपस्थिति में सम्पन्न हुई। जिसमें राष्ट्रीय महासचिव एवं मध्यप्रदेश प्रदेश प्रभारी शकील तिजोरीवाला ने कहा कि बिहार में जैसा लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) का

सैलानियों को एक मादा तेंदुआ अपने तीन नन्हें शावकों के साथ बिना किसी डर के सड़क पर टहलती नजर आई

सिवनी में पेंच टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान सैलानियों को एक मादा तेंदुआ अपने तीन नन्हें शावकों के साथ बिना किसी डर के सड़क पर टहलती नजर आई, जिसका वीडियो भी सामने आया है।



से बाहर निकली और कच्ची सड़क पार करते हुए घने जंगल की ओर बढ़ गई। इस नजारे ने पर्यटकों को रोमांच से भर दिया और उनकी सफारी को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। से नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों के

कांग्रेस का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आंदोलन नौ अप्रैल को

हरिभूमि न्यूज़ सिवनी।

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशानुसार प्रदेश की सतारूढ़ भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण आज अन्नदाता किसान काफी परेशानियों से जूझ रहा है। किसानों की गेहूँ की उपार्जन की तारीखें बार बार बढ़ाई जा रही है पहले 23 मार्च, फिर 01 अप्रैल, 10 अप्रैल, 15 अप्रैल बताई जा रही है। किसानों से सहकारी संस्थाओं से किसानों का ऋण वसूलने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की थी, प्रदेश की मोहन यादव सरकार के कुप्रबंधन के कारण लगभग 50 प्रतिशत किसान डिफाल्टर हो गए हैं। किसान गेहूँ उपार्जन को लेकर अत्यधिक परेशान हैं। ऐसी स्थिति में किसान कृषि उपजमंडी में गेहूँ 2000 से 2200 रुपये के औने पौने दामों में बेचने मजबूर है, मध्यप्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान में 16 मार्च

से गेहूँ उपार्जन किया जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी सिवनी द्वारा किसानों की समस्याओं के त्वरित निराकरण किये जाने प्रदेश की भाजपा सरकार को जगान दिनांक 9 अप्रैल 2026, दिन गुरुवार को दोपहर 12 बजे, कचहरी चौक सिवनी में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आंदोलन कर महामहिम राज्यपाल को जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जायेंगा। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरेश मरावी ने जिले के समस्त कांग्रेस पदाधिकारी, निर्वाचित गुरुप्रतिधि, वरिष्ठ कांग्रेस नेता गण, प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि एवं पदाधिकारी, समस्त ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, सभी मोर्चा संगठन, विभाग एवं प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, मंडलन, सेक्टर कांग्रेस अध्यक्ष, ग्राम एवं वार्ड कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, जिले की चारों विधानसभा के बीएलए सांसदों सहित समस्त कांग्रेस जनों से किसान आंदोलन में अनीवार्य रूप से शामिल होने हेतु

जिला यादव महासभा कोर गुप की बैठक हुई संपन्न

हरिभूमि न्यूज़ सिवनी।

जिल।सम्मेलन,युवक-युवती परिचय,सामूहिक विवाह, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, वृद्ध जनों, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान समारोह) को लेकर 05 अप्रैल दिन रविवार को डुंडा सिवनी स्थित कार्यालय में आयोजित बैठक में मई माह में आयोजित कार्यक्रम को लेकर विस्तृत चर्चा की गई बैठक में आयोजित कार्यक्रम के लिए समितियों का गठन किया गया कोर गुप कमेटी के सदस्यों के अलावा समाज के वरिष्ठों को समितियों का दायित्व सोपा गया है। बैठक में जोर देकर यह निर्णय लिया गया कि जिले में निवासरत समाज की हर वर्ग के व्यक्ति को कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया जाएगा और समाज के हर घर पर



पहुंच कर कार्यक्रम के लिए आमंत्रण दिया जाएगा। 24 मई दिन रविवार 2026 को होने वाले कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम में प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री समाज के गौरव डॉ मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर खन्डोसगाड़ शासन के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव चंद्रपाल यादव पूर्व राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश झांसी

दुनिया में मशहूर है।

वन्यजीवों का सुरक्षित ठिकाना

पेंच सिर्फ बाघों और तेंदुओं के लिए ही नहीं, बल्कि भालू, जंगली कुत्ते, चीतल, सांभर, नीलगाय और गौर जैसे जानवरों का भी घर है। पक्षी प्रेमियों के लिए भी यह किसी स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि यहां पक्षियों की 250 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं।

कब और कैसे करें सैर ?

पर्यटन के लिहाज से पेंच का बहुत महत्व है। यहांसैलानी जीप और हाथी सफारी के जरिए कुदरत को घोंपित यह पार्क अपने घनेजंगलों के लिए अक्टूबर से जून तक का समय

विश्व नवकार महामंत्र दिवस 9 अप्रैल को: सिवनी में मत्स्य आयोजन, हजारों श्रद्धालु होंगे सम्मिलित

हरिभूमि न्यूज़ सिवनी।

सिवनी जीतो चैटर से सुनील मालू द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि इस कार्यक्रम में देश ही नहीं बल्कि विश्व के 108 देशों के लाखों लोग एक साथ नवकार मंत्र का जाप करेंगे। साथ ही, इस भव्य आयोजन का 6000 मंदिरों एवं उपाश्रयों से सीधु प्रसारण भी किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक श्रद्धालु इस आध्यात्मिक कार्यक्रम से जुड़ सकेंगे। सिवनी में भी इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है, वहीं 100 से अधिक मेगा इवेंट्स के माध्यम से इस दिन को विश्व रूप से मनाया जाएगा। यह आयोजन जीतो जिला लेडीज विंग द्वारा सिवनी में

विश्व स्तर पर मनाए जाने वाले विश्व नवकार महामंत्र दिवस के अवसर पर 9 अप्रैल, गुरुवार को सिवनी जिले में मत्स्य धार्मिक आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन प्रातः 8:30 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के सम्मिलित होने की संभावना है।



स्थित दिगंबर जैन मंदिर के बाहुबली हॉल में आयोजित किया जाएगा। आयोजन समिति ने जिले के सभी धर्मप्रेमी श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में

उपस्थित होकर इस आध्यात्मिक कार्यक्रम का लाभ लेने की अपील की है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, श्री नवकार महामंत्र (जिसे पणोकार मंत्र भी कहा

जाता है) मानवता के लिए सबसे गहरा और पूजनीय मंत्र है। यह किसी वरदान की याचना नहीं, बल्कि गहन श्रद्धा का मंत्र है, जो उन आत्माओं को नमन करता है जिन्होंने आध्यात्मिक विकास की उच्चतम स्थिति प्राप्त की है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस मंत्र के नियमित जाप से मन को शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आत्मिक बल प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति के भीतर करुणा, सहनशीलता और आत्मज्ञान की भावना विकसित होती है। साथ ही, यह मंत्र तनाव को कम करने, पापों के नाश और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है।

केवलारी में 'अल्पविराम कार्यक्रम' से अधिकारियों-कर्मचारियों ने सीखी आनंद की कला 'अल्पविराम कार्यशाला' से बड़ी आनंद और सकारात्मकता की अनुभूति

सिवनी/केवलारी। जीवन की आपाधापी और कार्यदेहबल के बीच एक क्षण का ठहराव ही आत्मसंतुलन का आधार होता है कृ इसी भाव को साकार करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद एवं राज्य आनंद संस्थान गोपाल के संयुक्त तत्वावधान में "अल्पविराम कार्यक्रम" का आयोजन जलपद केवलारी के ठठर समागार में किया गया। यह आयोजन कलेक्टर श्रीमती शीतला पटेल के निर्देशन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी श्रीमती अंजली शाह के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ, जिसका मूल उद्देश्य शासकीय एवं अशासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों में आनंद, आत्मचिंतन एवं सकारात्मकता की अनुभूति बढ़ाना रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय केवलारी के प्रचार्य डॉ.



एस.एन. डेहरिया, अध्यक्षता जलपद पंचायत केवलारी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रान्त पाठक ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉ. संजय मिश्रा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मॉ सरस्वती पूजन एवं मंगल प्रार्थना के साथ हुआ, जिससे वातावरण में शांति और सकारात्मकता का संचार हुआ। मास्टर ट्रेनर श्रीमती नीलम

विश्वकर्मा, सुश्री नेमवती बरकडे, सुश्री श्रद्धा ठाकुर एवं श्री राकेश अखवाल ने प्रतिभागियों को संवादत्मक सत्रों के माध्यम से "आनंद की ओर", "जीवन का लेखा-जोखा" तथा "चिंता का दायरा दूर प्रभाव का दायरा" जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दिया। इन सत्रों में उपस्थित प्रतिभागियों ने अपने विचारों को समझने, भावनाओं को संतुलित करने और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का संदेश आत्मसात किया।

डुण्डासिवनी पुलिस की कार्यवाही युद्ध स्तर पर

डुण्डासिवनी थाना क्षेत्र में अपराधियों की अब खैर नहीं

डुण्डासिवनी पुलिस की जुआ फड़ पर रेड कार्यवाही 2650 रुपये सहित 52 ताश के पते जप्त



मुख्यांबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना डुण्डासिवनी क्षेत्र अंतर्गत मंडला रोड कबीर वार्ड गोण्डी मोहल्ला के पीछे कुछ लोग ताश के पत्तों पर हार जीत का दांव लगा रहे हैं। सूचना तस्दीक पर थाना प्रभारी चैनसिंह उडके के नेतृत्व में थाना डुण्डासिवनी की टीम गठित कर जुआ रेड कार्यवाही की गई जो घेराबंदी कर 03 जुआडिओ को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई। सभी जुआडिओ से कुल 2650 रुपये नगदी एवं 52 ताश के पते जप्त किये गये। आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 178/26 धारा 13 जुआ एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पकड़े गये जुआरी में शुभम पिता ज्ञानचंद यादव उम्र 28 साल नि. कबीर वार्ड डुण्डासिवनी, जगदीश पिता रमेश यादव उम्र 32 साल नि. कबीर वार्ड डुण्डासिवनी, आकाश पिता राजेन्द्र यादव उम्र 28 साल कबीर वार्ड डुण्डासिवनी। जप्तों में कुल 2650 रुपये नकद, 02. 52 ताश के पते।

प्रयासरत रहते है जिनके कुशल मार्गदर्शन में एवं ए.एस.पी. दीपक मिश्रा व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सचिन परते के निर्देशन व नेतृत्व में कार्य करते हुए थाना डुण्डासिवनी पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका को सकुशल दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द किया। दिनांक 05/04/2026 को प्रार्थी अभिभावक ने थाना डुण्डासिवनी में उपस्थित आकर रिपोर्ट लेख कराया कि इसकी 17 वर्ष 09 माह कि नाबालिग बालिका घर से अपने मामा के घर ग्राम कण्डीपार घूमने गयी थी जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 176/26 धारा 137 (2) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना प्रभारी चैनसिंह उडके द्वारा तत्काल पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया गया पुलिस अधीक्षक द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए टीम गठित कर अपहृत बालिका की तलाश पातासाजी हेतु टीम अलग अलग स्थानों पर रवाना कि गयी तकनीकी सहायता ली गयी जो अपहृता का नागपुर कोराडी तरफ होने की सूचना मिलने पर थाना स्तर पर टीम गठित कर नागपुर

आपरेशन मुस्कान अभियान में, डुण्डासिवनी पुलिस की सफलता: नाबालिग बालिका नागपुर से किया सकुशल दस्तयाब

सिवनी। पुलिस मुख्यालय व्दारा चलाये जा रहे आपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस अधीक्षक सिवनी सुनील मेहता नाबालिग बालक बालिकाओं के दस्तयाब हेतु हर संभव

तरफ रवाना होकर अपहृता को दस्तयाब कर सिवनी लाकर परिजनों के सुपुर्द किया गया। विशेष भूमिका: निरी. चैनसिंह उडके, सडिन बालकृष्ण त्रिगाम, विनय चौरिया (सायबर सेल), आरक्षक, नितेश राजपूत, कृष्णकुमार भालेकर, प्रियंका डेहरिया ।

धोखाधड़ी कर फरार आरोपी, को डुण्डासिवनी पुलिस ने किया गिरफ्तार

थाना डुण्डासिवनी पुलिस व्दारा वर्ष 2024 से धोखाधड़ी के प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी निखिल शुक्ला को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। दिनांक 23.09.2024 को प्रार्थी महेंद्रु पाल सिंह भाटिया निवासी लुधरवाडा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि निखिल शुक्ला व अंखिल शुक्ला के द्वारा जंगदबा सिटी में स्थित प्लाट व घर को अलग अलग व्यक्ति को रजिस्ट्री करना एवं बैंक से उसी प्लाट व घर के नाम से लोन लेकर धोखाधड़ी करने एवं प्रार्थी से भी इस्कार नामा कर धोखाधड़ी करने कि रिपोर्ट पर थाना डुण्डासिवनी में अपराध क्रमांक 417/24 धारा 420,120 (बी) भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान प्रकरण में तीन मूल रजिस्ट्री अलग अलग जगह उपयोग कर बेईमानी से लाभ प्राप्त करने का तथ्य सामने आने से साक्ष्यों के आधार पर धारा 467,468,471 भादवि का इजाफा किया गया। अखिल शुक्ला माननीय उच्च न्यायालय से जमानत पर है एवं घटना दिनांक 06.04.2026 को मुख्यांबिर की सूचना पर सिवनी से गिरफ्तार कर माननीय न्यायाल पेश किया गया न्यायालय द्वारा आरोपी निखिल शुक्ला को जेल निरुद्ध किया।



तिरोड़ी | बोनकटा | कंटगी | बैहर | वारासिवनी | हटा

प्रभारी मंत्री के निर्देश पर खुल रही; भारती ठाकुर ने मांगा लिखित प्रमाण नपाध्यक्ष के वार्ड में शराब दुकान का विरोध

हरिभूमि न्यूज बालाघाट।

बालाघाट मुख्यालय के वार्ड क्रमांक 24 में मंगलवार को रिहायशी इलाके में शराब दुकान खोलने के विरोध में स्थानीय महिलाएं और नागरिक सड़कों पर उतर आए। नपा अध्यक्ष भारती ठाकुर ने भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शन के दौरान आबकारी अधिकारी ने दुकान खोलने को प्रभारी मंत्री का निर्देश बताया, जिस पर नपाध्यक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई।

वार्ड क्रमांक 24 में ऑकर बिसेन की दुकान में नई शराब दुकान प्रस्तावित है, जिसके ठीक बगल में राशन की दुकान संचालित है। स्थानीय निवासी निशा धुवारे ने बताया कि इस क्षेत्र में दुर्गा मंदिर, आईजी

कार्यालय और एक सार्वजनिक उद्यान है। धनी आबादी वाले इस मार्ग से प्रतिदिन सैकड़ों स्कूल-कॉलेज के छात्र गुजरते हैं, जिससे सुरक्षा का खतरा बना रहेगा।

विरोध स्थल पर पहुंचे आबकारी अधिकारी इक्का ने कहा कि यह दुकान प्रभारी मंत्री के निर्देश पर खोली जा रही है। उन्होंने दावा किया कि इस प्रक्रिया में कलेक्टर, एसपी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का समन्वय शामिल है। हालांकि, अधिकारी ने किसी विशिष्ट जनप्रतिनिधि का नाम लेने से परहेज किया, जिससे विवाद और गहरा गया।

इसपर नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने प्रशासन से लिखित सहमति पेश करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि उनके नाम का उपयोग किया जा रहा है, तो



विभाग प्रमाण सार्वजनिक करे। भारती ठाकुर ने घोषणा की कि जब तक रिहायशी इलाके से शराब दुकान हटाने का निर्णय नहीं होता, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा।

बालाघाट में अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई, ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त



हरिभूमि न्यूज बालाघाट।

कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देशन तथा उपसंचालक खनिज सुश्री फरहत जहाँ के नेतृत्व में जिले में अवैध रेत खनन व परिवहन पर निरंतर व सख्ती से कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इसी कड़ी में 07 अप्रैल को खनिज विभाग के निरीक्षक बसंत पाटिल एवं कोतवाली पुलिस की संयुक्त

टीम द्वारा भटेरा में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को बिना नंबर प्लेट के अवैध रूप से रेत का परिवहन करते हुए पकड़ा गया। सुश्री फरहत जहाँ ने बताया कि संयुक्त दल द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) बालाघाट परिसर में सुरक्षित खड़ा कराया गया है। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि संबंधित वाहन द्वारा किया जा रहा

रेत परिवहन मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के नियम 3 का उल्लंघन है। इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन एवं परिवहन के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

125 आवेदकों ने दिये अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन

जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनी आवेदकों की समस्या

हरिभूमि न्यूज बालाघाट।

प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई की कड़ी में 07 अप्रैल को कलेक्टर सभाकक्ष में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। कलेक्टर श्री मृणाल मीना की अध्यक्षता में अपर कलेक्टर श्री डीपी बर्मन, संयुक्त कलेक्टर श्री एमआर कोल, डिप्टी कलेक्टर श्री प्रदीप कौर ने आवेदकों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनका निराकरण करने के निर्देश दिये। जनसुनवाई में 125 आवेदक अपनी समस्या लेकर

आए थे। जनसुनवाई में सरस्वती नगर बालाघाट की सरिता घनश्याम मुकुटे शिकायत लेकर आयी थी कि सेंट्रल बैंक शाखा खैरी भटेरा के ब्रांच मैनेजर द्वारा उससे अत्यधिक ब्याज वसूलने, पीएम आवास योजना के तहत ब्याज दर में छूट प्रदान न करने तथा वर्ष 2021 से होम लोन की किरतों से 03 लाख रुपये से अधिक की राशि वसूली जा रही है। सरिता ने बताया कि वह शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय चरेगांव में पदस्थ है और उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सेंट्रल बैंक शाखा खैरी भटेरा से लोन स्वीकृत किया गया था। किंतु बैंक मैनेजर द्वारा उसे योजना के तहत ब्याज दर में छूट नहीं प्रदान की गई। इसके साथ ही उससे लोन की किरतों से ऋण

का ब्याज लगभग वर्ष 2021 से प्रतिमाह वसूला जा रहा है, लेकिन ऋण राशि में किसी तरह की कटौती नहीं की जा रही है। इस प्रकरण में अग्रणी बैंक प्रबंधक को शीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जनसुनवाई में बालाघाट गुजरी चौक के सब्जी विक्रेता संघ द्वारा शिकायत की गई कि गुजरी में सब्जी की दुकान लगाने वाले दुकानदारों से निर्धारित राशि से अधिक की वसूली की जा रही है। उन्होंने बताया कि गुजरी चौक बालाघाट के ठेकेदारों द्वारा अब तक गुजरी चौक में सब्जी दुकान लगा रहे दुकानदारों से 10 से 20 रुपये तक की वसूली की जाती थी। किंतु अब ठेकेदारों द्वारा गुजरी चौक में बैठकी

बिरसा और किरनापुर के गांवों में की गई जल गुणवत्ता की जांच

हरिभूमि न्यूज बालाघाट।

जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जिले के विकासखंड बिरसा के ग्राम बाहकल एवं विकासखंड किरनापुर के ग्राम धड़ी में जल गुणवत्ता परीक्षण और स्वच्छता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बालाघाट द्वारा फील्ड टेस्टिंग किट के माध्यम से ग्राम पंचायत, स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल स्रोतों की मौके पर जांच की गई। एफटीके उपयोगकर्ताओं ने जल के नमूनों की जांच कर ग्रामीणों को इसकी प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रदर्शन भी किया। अभियान में



सरपंच, सचिव, शिक्षक, छात्र-छात्राएं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। सभी को जल परीक्षण की विधि और इसके महत्व के बारे में

विस्तार से जानकारी दी गई। परीक्षण के दौरान पानी में क्लोरीन, आयर्न, फ्लोराइड और पीएच जैसे महत्वपूर्ण मानकों की जांच की गई। अधिकारियों ने बताया कि यदि किसी जल नमूने में दूषण पाया

जाता है, तो उसे विस्तृत जांच के लिए जिला या ब्लॉक स्तर की प्रयोगशाला में भेजा जाता है। इस दौरान जल स्रोतों के आसपास साफ-सफाई अभियान भी चलाया गया। ग्रामीणों, शिक्षकों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने मिलकर स्वच्छता का संदेश दिया और सुरक्षित पेयजल के प्रति जागरूकता बढ़ाई। प्रशिक्षण के बाद ग्राम पंचायतों को एफटीके किट वितरित की गई, ताकि वे नियमित रूप से अपने क्षेत्र के जल स्रोतों की जांच कर सकें। कार्यक्रम में ब्लॉक समन्वयक श्रुति गजभिने, फनीश रंगारे एवं पीएमयू से हरीश झा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

चना खरीदी के लिए मंडी स्तर पर बनाये गये हैं 08 केन्द्र जिले में समर्थन मूल्य पर चना की खरीदी 30 मार्च से की जा रही है, 28 मई तक की जायेगी चना की खरीदी

हरिभूमि न्यूज बालाघाट।

बालाघाट जिले में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत चना उपार्जन का कार्य 30 मार्च 2026 से प्रारंभ हो गया है, जो 28 मई 2026 तक जारी रहेगा। इस वर्ष चना का समर्थन मूल्य 5875 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। समर्थन मूल्य पर चना विक्रय के लिए जिले के 2609 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। जिले में चना की समर्थन मूल्य पर

खरीदी के लिए कुल 08 केन्द्र बनाये गये हैं।

उप संचालक कृषि श्री फूलसिंह मालवीय ने बताया कि सेवा सहकारी समिति पायली द्वारा कृषि उपज मंडी बालाघाट (गोमलाई), सेवा सहकारी समिति कायदी द्वारा कृषि उपज मंडी खैरलांजी (किन्ही), सेवा सहकारी समिति मिरगांव द्वारा कृषि उपज मंडी लालबरा (बकोड़ा), सेवा सहकारी समिति बनेरा द्वारा कृषि उपज मंडी कंटगी, आदिम

जाति सेवा सहकारी संस्था उकवा द्वारा कृषि उपज मंडी बैहर (मोहागांव), आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था परसवाड़ा द्वारा कृषि उपज मंडी रसवाड़ा एवं सेवा सहकारी समिति मांझापुर द्वारा कृषि उपज उपमंडी कनकी में चना की खरीदी की जा रही है। जिला प्रशासन ने जिले के सभी पंजीकृत किसान भाइयों से अपील की है कि वे ई-उपार्जन पोर्टल पर स्लॉट बुक कर अपनी सुविधा अनुसार निर्धारित खरीदी केन्द्रों पर चना विक्रय करें।

वर्षा घोड़ेश्वर की आज मनाई जाएगी पुण्यतिथि

हरिभूमि न्यूज बालाघाट।

नगर के वार्ड नंबर 13 वर्षा सदन घोड़ेश्वर वाद्य यंत्र संग्रहालय बुद्धी निवासी वर्षा घोड़ेश्वर की प्रथम पुण्य तिथि 8 अप्रैल को मनाई जाएगी। वर्षा घोड़ेश्वर का जन्म 5 मई 1984 को हुआ था। जिनके निधन को एक वर्ष होने पर पहली पुण्य तिथि मनाई जाना है। इस पुण्य तिथि पर नाते रिश्तेदार आकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पुण्यतिथि कार्यक्रम में पहुंचने की अपील जी.आर. घोड़ेश्वर पिता, गीता घोड़ेश्वर माता, प्रमोद घोड़ेश्वर बड़े भाई, रजू घोड़ेश्वर बड़ी भाभी,



संतोष घोड़ेश्वर छोटे भाई, योगिता घोड़ेश्वर छोटी भाभी, बरखा घोड़ेश्वर बड़ी बहन, प्रियांशी भतीजी, संप्रिता सिया भतीजी एवं समस्त घोड़ेश्वर परिवार ने की है।

इको क्लब द्वारा दिया गया जल संरक्षण का संदेश

हरिभूमि न्यूज बैहर।

शासकीय अरण्य स्तानकोत्तर महाविद्यालय बैहर के इको क्लब द्वारा, महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा लिए गए गोद ग्राम पिपरिया में बैरी बंधन किया गया। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण का संदेश देना है। यह कार्य महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. बी. एल. चौहान के निर्देशानुसार किया गया। इस गतिविधि में ग्राम पिपरिया के सरपंच, सचिव एवम राष्ट्रीय सेवा योजना महिला इकाई की नोडल अधिकारी डॉ. आरती धूपकारी, रसायन विज्ञान की सहायक प्राध्यापक राजेश्वरी त्रिपाठी, जंतु विज्ञान के प्राध्यापक डॉ. बाबू शशिकांत मौर्य, आदि का



महत्वपूर्ण सहयोग रहा तथा इको क्लब के विद्यार्थी एवम NSS के वालंटियर अंजनीसिंह, राजधोदरे, हेमकुमार, रंजित मरावी, संजना धुवे, अक्षय एड पूनम पांडे, किशन मरावी, सुरेश सैयम, रंजीत गणवीर, जौनत खान, विजय मरावी आदि छात्र/छात्राओं ने बैरी बंधन के अलावा नाले की साफ सफाई की तथा ग्राम पिपरिया में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत रेली

निकाल कर नारे एवम स्लोगन के द्वारा ग्रामीणों को गंगा जल संवर्धन का एक संदेश दिया। इस गतिविधि में इको क्लब के नोडल अधिकारी डॉ. भान सिंह बरेला सहायक प्राध्यापक जंतु विज्ञान ने गोद ग्राम पिपरिया के रहवासियों को एवम समस्त छात्र/छात्राओं तथा महाविद्यालय परिवार को इस नेक कार्य में सहयोग देने के लिये धन्यवाद एवम आभार व्यक्त किया।

आज अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा बालाघाट धरना देकर निकालेगा शिक्षक स्वाभिमान रैली



हरिभूमि न्यूज बालाघाट।

प्रदेश स्तर पर अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा मध्यप्रदेश के गठन पश्चात लिए गए निर्णय अनुसार प्रदेश के समस्त जिलों में 8 अप्रैल को धरना रैली व ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसी क्रम में बालाघाट जिले में भी 3 अप्रैल 2026 को अध्यापक शिक्षक संघों के समस्त जिलाध्यक्षों एवं पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक मोती तालाब गार्डन में संपन्न हुई। आशीष बिसेन संयोजक एवं एमनत ठाकरे सदस्य अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा बालाघाट द्वारा जानकारी दी गई कि बैठक में जिले के शिक्षा विभाग के सभी संगठन मे आजाद अध्यापक शिक्षक संघ, शासकीय शिक्षक संघ, प्रांतीय शिक्षक संघ, राज्य शिक्षक संघ, एन.एम.ओ.पी.एस संघ, खेलकूद

शिक्षक संघ, ट्राईबल वेलफेयर एसोसिएशन संघ, मध्यप्रदेश शिक्षक संघ, मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस संघ, म. प्रा.राज्य कर्मचारी संघ सम्मिलित रहे। इन्होंने आगे बताया कि सभी जिला अध्यक्षों एवं जिला पदाधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी संगठन के जिलाध्यक्ष संयुक्त मोर्चा के संयोजक होंगे एवं आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई जिसमें 08 अप्रैल दिन बुधवार को बालाघाट जिले में मुलना स्टेडियम के सामने दोपहर 12:00 बजे से जिलास्तरीय धरना देकर शिक्षक स्वाभिमान रैली निकालकर व शाम 4:00 बजे कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके पश्चात 11 अप्रैल को ब्लॉक स्तर पर धरना कार्यक्रम आयोजित कर सभी

स्थानीय विधायक, मंत्री एवं सांसदों को समस्याओं से अवगत कराया जाएगा। इसके बाद भोपाल स्तर पर दिनांक 18 अप्रैल को भोपाल में प्रदेश स्तरीय व्यापक धरना, अब ऐसे मुख्यमंत्री अनुरोध रैली एवं ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रमुख मांगें :- 1) टीईटी परीक्षा निरस्त करना 2) नवीन शिक्षक संवर्ग की प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना किये जाने की मांग। सभी संगठनों के संयोजकों द्वारा जिले के समस्त शिक्षा जगत के कर्मचारियों, बंधुओं एवं बहनों से अपील की गई है कि दिन बुधवार 8 अप्रैल को 01 दिन का अवकाश लेकर दोपहर 12:00 बजे मुलना स्टेडियम ग्राउंड बालाघाट के सामने धरना स्थल पर अपने अस्तित्व को बचाने एवं अपनी सेवा अवधि की गणना नियुक्ति दिनांक से करवाने की मांग में सम्मिलित होंगे।

अभिभावकों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन पहले प्रवेश दिया अब बोल रहे टीसी लेकर जाओ

हरिभूमि न्यूज कंटगी। शिक्षा पर सभी का समान अधिकार है और यह प्रत्येक बच्चे का एक संवैधानिक भी अधिकार है। बावजूद इसके सरकारी नियमों में उलझाकर बच्चों को उनके इस संवैधानिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। मामला बालाघाट जिले के तहसील मुख्यालय कंटगी के शासकीय सांदीपनि विद्यालय से जुड़ा हुआ है। यहां पर अंग्रेजी माध्यम की कक्षाओं में प्राइवेट स्कूल से आने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। वहीं जिन विद्यार्थियों को नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दौरान प्रवेश दिया जा चुका था। अब ऐसे विद्यार्थियों के अभिभावकों से शिक्षक संपर्क कर उन्हें अपने बच्चों की टीसी वापस लेकर जाने की बात कह रहे हैं। शिक्षकों के द्वारा अभिभावकों को बच्चे का प्रवेश निरस्त होने की जानकारी दी जा रही है। जिनका चयन सूची में नाम आ रहा है। जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। सांदीपनि स्कूल के प्राचार्य शैलेन्द्र गुप्ता ने अब ऐसे विद्यार्थियों को भी प्रवेश देने से साफ इनकार कर दिया है। प्राचार्य ने लोक शिक्षण संचालनालय के नियमों का हवाला देते हुए बताया कि सांदीपनि स्कूल में पहली प्राथमिकता पोषक शालाओं के विद्यार्थियों को दी जानी है। इधर, बच्चों को प्रवेश नहीं मिलने



और प्रवेश के बाद टीसी वापस लेने की बात कहें जाने से अभिभावक परेशान हैं। अभिभावकों ने मंगलवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम के.सी.ठाकुर को ज्ञापन सौंपते हुए सभी बच्चों को संचालित सांदीपनि विद्यालयों में आकांक्षी नामांकन के अनुसार प्रवेश के संबंध में है। सबसे पहले आकांक्षी नामांकन को आसान भाषा में समझ लीजिए। आकांक्षी नामांकन के लिए सबसे पहले स्कूल को यह निर्धारित करना होता है कि उसके पास विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था के क्या प्रबंध हैं। इसी व्यवस्था के आधार पर स्कूल प्रवेश के लिए सीटें निर्धारित करता है जो स्कूल तय करता है। आदेश कक्षा है कि जहां नए भवन पूर्ण होने वाले हैं या नवीन भवन में स्कूल संचालित हो रहे हैं। ऐसे

सांदीपनि स्कूल में नामांकन को पुनरीक्षित किया जाना है जो विभाग द्वारा तय किया जाता है। यानी आकांक्षी नामांकन और पुनरीक्षित नामांकन के मध्य जो सीटें रिक्त हैं। उन रिक्त सीटों पर शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाना। जबकि नवीन विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए 08 अप्रैल 2025 की प्रवेश नीति ही अपनाई जा रही है। यह प्रवेश नीति सीएम राइज विद्यालय में विद्यार्थियों को नवीन प्रवेश देने के लिए शासकीय विद्यालय में प्रवेश के पश्चात शेष रिक्त सीटों पर दूरी के बढ़ते क्रम में 1, 2 और 3 किमी. में संचालित सांदीपनि विद्यालयों में आकांक्षी नामांकन के अनुसार प्रवेश के संबंध में है। सबसे पहले आकांक्षी नामांकन को आसान भाषा में समझ लीजिए। आकांक्षी नामांकन के लिए सबसे पहले स्कूल को यह निर्धारित करना होता है कि उसके पास विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था के क्या प्रबंध हैं। इसी व्यवस्था के आधार पर स्कूल प्रवेश के लिए सीटें निर्धारित करता है जो स्कूल तय करता है। आदेश कक्षा है कि जहां नए भवन पूर्ण होने वाले हैं या नवीन भवन में स्कूल संचालित हो रहे हैं। ऐसे

सांदीपनि स्कूल में नामांकन को पुनरीक्षित किया जाना है जो विभाग द्वारा तय किया जाता है। यानी आकांक्षी नामांकन और पुनरीक्षित नामांकन के मध्य जो सीटें रिक्त हैं। उन रिक्त सीटों पर शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाना। जबकि नवीन विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए 08 अप्रैल 2025 की प्रवेश नीति ही अपनाई जा रही है। यह प्रवेश नीति सीएम राइज विद्यालय में विद्यार्थियों को नवीन प्रवेश देने के लिए शासकीय विद्यालय में प्रवेश के पश्चात शेष रिक्त सीटों पर दूरी के बढ़ते क्रम में 1, 2 और 3 किमी. में संचालित सांदीपनि विद्यालयों में आकांक्षी नामांकन के अनुसार प्रवेश के संबंध में है। सबसे पहले आकांक्षी नामांकन को आसान भाषा में समझ लीजिए। आकांक्षी नामांकन के लिए सबसे पहले स्कूल को यह निर्धारित करना होता है कि उसके पास विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था के क्या प्रबंध हैं। इसी व्यवस्था के आधार पर स्कूल प्रवेश के लिए सीटें निर्धारित करता है जो स्कूल तय करता है। आदेश कक्षा है कि जहां नए भवन पूर्ण होने वाले हैं या नवीन भवन में स्कूल संचालित हो रहे हैं। ऐसे

चाहिए ताकि अभिभावकों के साथ सांदीपनि स्कूल के प्राचार्य के बीच जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है वह दूर हो सकें।

इनका कहना है

मेरे बच्चे का 04 अप्रैल को ही स्कूल में प्रवेश हो चुका है अब टीसी वापस लेकर जाने के लिए कहा जा रहा है। अब बच्चे को कहा लेकर जाएं पछुने पर बताया जा रहा है कि प्रवेश निरस्त कर दिया गया है।

देवराज नागोसे

अभिभावक

मेरे बच्चे का छठवाँ कक्षा में प्रवेश हुआ था दो दिन से कक्षा में बैठ भी रहा है। अब प्रवेश निरस्त करने की बात कहें जा रही है।

दानेन्द्र नेवारे

अभिभावक

//नाम परिवर्तन सूचना//

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं राजू यादव निवासी ग्राम करणसराय तह. बैहर जिला बालाघाट का निवासी हूँ. जो कि गलत है। जबकि मैं राजू सिंह यादव (Raju Singh Yadav) हूँ, जो कि गलत है। यदि सभी दस्तावेजों में मेरा नाम राजू यादव (Raju Yadav) लिखा हुआ है। जो कि सही है सत्य है। अतः मेरे ड्राइविंग लाइसेंस में राजू सिंह यादव (Raju Singh Yadav) के स्थान पर Raju Yadav सुधार किया जाए एवं लिखा व पढ़ा जायें।